

11-07-18

पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित। जिस पीठाधीन अधिकारी के विरुद्ध आक्षेप लगाकर यह प्रार्थना पत्र पेश किया है, उसका स्थायीकरण हो चुका है। अतः यह प्रार्थना पत्र प्रभावहीन हो गया है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ भिजवाई जावे। पत्रावली के साथ शुभारंभ होकर बाद तकमील दाखिल रफ्तार हो।

अतः
जिला कलेक्टर
करोली